न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 50/2025 दायर दिनांकः 03.06.2025

उनवान

1. अनिता देवी आयु 35 वर्ष पुत्री मदनलाल जाति मेहर
2. रामस्वरूप आयु 38 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मेहर निवासीगण मायथा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 6376307247

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 16.10.2025

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मायथा पटवार हल्का भैसड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 29 का ख.नं. 102 का रकबा 0.33 हे०, ख.नं. 217 का रकबा 0.23 हे0, ख.नं. 249 का रकबा 0.15 हे०, ख.नं. 317 का रकबा 0.74 हे0, ख.नं. 318/684 का रकबा 0.14 हे0, ख.नं. 322 का रकबा 0.11 हे0, ख.नं. 95 का रकबा 0.79 हे0 कुल किता 7 का कुल रकबा 2.49 हेक्टर आराजी प्रार्थीगण के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद फोती इन्तकाल तस्दीक करते वक्त आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम मायथा की आराजी खाता संख्या 29 में प्रार्थिया क्रम 1 का नाम अनिता देवी के स्थान पर मीना तथा प्रार्थी क्रम 2 का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामेश्वर गलत दर्ज कर दिया तथा प्रार्थी क्रम 2 की आयु 38 वर्ष है परन्तु राजस्व जमाबन्दी में नाबालिग दर्ज कर रखा है जिसे बालिग दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, रामस्वरूप की 8 वीं बोर्ड की अंकतालिका, अनिता देवी का

स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र में प्रार्थिया क्रम 1 का सही नाम अनिता देवी एवं प्रार्थी क्रम 2 का सही नाम रामस्वरूप दर्ज है। इसलिए उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया क्रम 1 का सही नाम अनिता देवी पुत्री मदनलाल एवं प्रार्थी क्रम 2 का सही नाम रामस्वरूप पुत्र मदनलाल दर्ज किया जावे तथा प्रार्थी क्रम 2 को नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे। दस्तावेजो की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी ग्राम मायथा की खाता संख्या 29 में प्रार्थिया क्रम 1 का नाम मीना के स्थान पर अनिता देवी तथा प्रार्थी क्रम 2 का नाम रामेश्वर के स्थान पर रामस्वरूप तथा प्रार्थी क्रम 2 को नाबालिग से बालिग दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का सही नाम दर्ज नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया क्रम 1 का नाम मीना के स्थान पर सही नाम अनिता देवी तथा प्रार्थी क्रम 2 का नाम रामेश्वर के स्थान पर सही नाम रामस्वरूप दर्ज किया जावे तथा प्रार्थी क्रम 2 को नाबालिग से बालिग दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम मायथा की आराजी खाता संख्या 29 में प्रार्थिया क्रम 1 का नाम मीना के स्थान पर सही नाम अनिता देवी पुत्री मदनलाल तथा प्रार्थी क्रम 2 का नाम रामेश्वर के स्थान पर सही नाम रामस्वरूप पुत्र मदनलाल दर्ज किया जावे तथा प्रार्थी क्रम 2 को नाबालिग से बालिग दर्ज करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/2502 दिनांक 11.07.2025 को शामिल फाईल किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र Pw1 अनिता देवी पुत्री मदनलाल जाति मेहर निवासी मायथा तहसील अटरू, Pw2 रामस्वरूप पुत्र मदनलाल जाति मेहर निवासी मायथा तहसील अटरू व Pw3 मोहनी बाई पत्नी स्व0 मदनलाल जाति मेहर निवासी मायथा तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मायथा सम्वत 2074–77 खाता संख्या 29, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मायथा सम्वत 2054–57 खाता संख्या 50, मतदाता पहचान पत्र रामस्वरूप, आधार कार्ड रामस्वरूप, अंकतालिका कक्षा 8 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) कोटा, मतदाता पहचान पत्र अनिता कुमारी, आधार कार्ड अनिता कुमारी, प्रमाण पत्र प्रशासक ग्राम पंचायत भैसडा दिनांक 07.07.2025, परिवार राशन कार्ड मोहनी बाई, पेन कार्ड अनीता देवी, पेन कार्ड रामस्वरूप व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 29 का ख0नं0 102 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 217 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 249 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 317 रकबा 0.74 है0, ख0नं0 318/684 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 322 रकबा 0.11 है0 व ख0नं0 95 रकबा 0.79 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.49 है0 आराजी में सहखातेदार मीना पुत्री मदन के स्थान अनिता देवी पुत्री मदनलाल किए जाने में खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता है तथा नाबालिग रामेश्वर पुत्र मदन के स्थान पर रामस्वरूप उर्फ रामेश्वर पुत्र मदनलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 29 का ख0नं0 102 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 217 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 249 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 317 रकबा 0.74 है0, ख0नं0 318/684 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 322 रकबा 0.11 है0 व ख0नं0 95 रकबा 0.79 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.49 है0 आराजी में सहखातेदार नाबालिग रामेश्वर पुत्र मदन के स्थान पर रामस्वरूप उर्फ रामेश्वर पुत्र मदनलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक

ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां